निरीक्षण आख्या **अधीक्षक जिला कारागार, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत अधीक्षक जिला कारागार, देहरादून के अवधि **04/2014** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा** दिनांक **10/10/2016** से **20/10/2016** तक **श्री पी0सी0 श्रीवास्तव**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, स0ले0प0अ0, एवं श्री एस0के0सिंह, स0ले0प0अ0 के द्वारा दिनांक 16.04.2014 से 25.04.2014 तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 03/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह **04/2014** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री महेन्द्र सिंह ग्वाल	अधीक्षक	08.10.2013	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'	STAN
2012-13	13	-	1	-
2014-15	10	-	1	1

(2) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	50442183	50389408
2014-15	-	-	62017459	57615348
2015-16	-	-	72075894	71501339
2016-17 व्यय (09/2016)	-	-	75671000	45150441

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 ` 21.72 लाख के औषधियों का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1284/xxviii-5/2008-24 (2003) दिनांक 28.10.2009 के अनुसार औषधियों का क्रय ख्याति प्राप्त औषधी निर्माताओं से ही किया जाय जिसके मूल्यांकन हेतु उनके चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा अभिप्रमाणित विगत दो वित्तीय वर्षों की बैलेन्स शीट की टर्न ओवर की प्रतियां ली जाय एवं उन्हीं फार्मों से दवा खरीद की जायें। कार्यालय जिला कारागार देहरादून के चिकित्सा उपचार सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2017-18 के दौरान विभाग द्वारा बंदियों के उपचार हेतु औषधियों को सीधे औषधी निर्माताओं से क्रय न करके स्थानीय विभिन्न ड्रग

स्टोरों व ..... वितरकों से बिना कोटेशन/टेण्डर किये क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नांकित है।

क्र.सं.	माह	ड्रग स्टोर, कैमिस्टों व वितरकों के नाम व पता	धनराशि (`)
1	04/2015 to 09/2016	S.K. Enter prises Dehradun	378436
2	07/2015 to 10-6/2016	Quick Medical Biotech Dehradun	91571
3	07/2015 to 05/2016	Shruti Enter Prises Dehradun	137150
4	08/2015 to 08/2016	Forma Hub Haridwar	175418
5	05/2015 to 06/2015	Tec Laboratories	31957
6	06/2015 to 06/2016	Om Sai Enter Prises	92594
7	05/2015 to 09/2016	Rx surgical Dehradun	343380
8	08/2015 to 08/2016	Arora Pharma Meerut	207645
9	04/2015 to 07/2016	Aldlim Health Core Dehradun	124238
10	04/2015 to 02/2016	Global Remedies	472536
11	12/2014 to 05/2015	New Sai Medical Hall Muradabad	117456
कुल योग-			2172381

इस प्रकार जिला कारगार देहरादून द्वारा माह 04/2015 से 09/2016 तक 11 वितरकों, कैमिस्टों आदि से धनराशि ` 2172381/- की औषधियों का क्रय किया गया जो उक्त आदेश के प्रतिकूल है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र के आधार पर क्रय की गयी है जो सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं क्योंकि विभाग द्वारा औषधियों का क्रय सीधे औषधी निर्माताओं से क्रय न करके स्थानीय क्रय की गयी।

अतः धनराशि ` 2172381.00 की अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ` 1.75 लाख का दायित्व का सृजन किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर-159 के अनुसार, सभी प्रकार के भारित व्यय का भुगतान तत्काल कर देना चाहिए, कदापि एक वित्तीय वर्ष के व्यय को दूसरे वित्तीय वर्ष में भुगतान हेतु छोड़ना नहीं चाहिए।

कार्यालय अधीक्षक, जिला कारागार, सुद्धोवाला देहरादून के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि कार्यालय के द्वारा बजट का प्रावधान न होने पर भी वर्ष 2015-16 में औषधी रसायन एवं स्टेशनरी मद में विभिन्न आपूर्ति कर्ताओं से सामग्री का क्रय किया गया, जिसके कारण ` 175645/- का दायित्व का सृजन हुआ, जो सम्प्रेक्षा तिथि (माह सितम्बर, 2016) तक निस्तारित नहीं किया जा सका था, जिसका विवरण निम्न हैः-

वित्तीय वर्ष	क्रय की गयी मद का नाम	देनदारी की धनराशि (` में)

2015-16	औषधी तथा रसायन स्टेशनरी	158545
		17100
	योग-	**175645**

सम्प्रेक्षा में पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि बन्दियों के विशेष परिस्थितियों के उपचार में एवं बजट प्राप्त न होने के कारण व बजट का प्रत्यासा में सामग्री क्रय की गयी, जिसके कारण देनदारी का सृजन हुआ, विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य नहीं है, क्योंकि निमयानुसार, बजट का प्रावधान के बिना कोई भी मद में सामग्री को क्रय करना अपेक्षित नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **अधीक्षक जिला कारागार, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र